हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

"प्रेस नोट"

एतद् द्वारा सभी सम्बंधित को सूचित किया जाता है कि बोर्ड कार्यालय द्वारा वर्ष 1998 से 2003 तक अंक तालिका के अनुलिपि प्रमाण–पत्र जारी किए जा रहे है। बोर्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक 17.07.2018 के अनुच्छेद संख्या–5 के अनुसार वर्ष 1998 से 2003 तक के बिना अंक तालिका के अनुलिपि प्रमाण–पत्र जारी करने बारे निर्णय लिया गया है।

यदि किसी प्रार्थी को वर्ष 1998 से 2003 तक के अंक तालिका सहित अनुलिपि प्रमाण–पत्र की आवश्यकता है तो वह इस सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से एक मास के अन्दर–2 निर्धारित शुल्क सहित आवेदन–पत्र कार्यालय में भेजकर नियमानुसार प्राप्त कर सकता है। इसके पश्चात् वर्ष 1998 से 2003 तक की अंक तालिका की परिणाम शीटों को नष्ट करवा दिया जाएगा और केवल बिना अंक तालिका के अनुलिपि प्रमाण–पत्र ही जारी किए जाएंगे। एक मास बाद किसी भी प्रार्थी का अंक तालिका सहित अनुलिपि प्रमाण–पत्र जारी करने का आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष